आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 257/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. मैसर्स एस रॉबर्टस फार्मास्टीकल्स जरिये प्रोपराईटर,
   श्री नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र श्री भगवान दास सुखानी,
   पता–538 ए, सिन्धी कालोनी राजापार्क जयपुर।
2. नरेन्द्र कुमार सुखानी पुत्र भी भगवान दास सुखानी,
   निवासी फ्लेट नम्बर 4/721 जवाहर नगर जयपुर।

बनाम

प्रार्थी ऋणी

इण्डियन बैंक शाखा एम॰आई॰ रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 09.09.2021 प्रकरण संख्या 29/2021 इण्डियन बैंक बनाम मैसर्स एस॰ रॉबर्टस मे पारित आदेश को को रिकाल/रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री विनोद शंकर अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

आदेश दिनांक 20.06.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) व उनवानी इण्डियन बैंक बनाम मैसर्स एस॰ रॉबर्टस में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय बैंक को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. बहस एक पक्षीय प्रार्थी की सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी बैंक को यह तथ्य प्रारम्भ से ही ज्ञान में था कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी बैंक द्वारा जारी धारा 13 (2) व 13(4) के नोटिस को ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष चुनौती दे रखी है जो कि उक्त प्रकरण वर्तमान में लम्बित है। जिसमें बैंक द्वारा उक्त तथ्य छिपा कर यह प्रार्थना पत्र धारा 13 (2) व 13 (4) के नोटिस को आधार बना कर प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के समक्ष समान तथ्यों पर समान अनुतोष के लिए धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो कि वर्तमान में भी लम्बित है। उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व ही तथ्यों को छिपाते हुये बैंक द्वारा पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे आदेश दिनांक 09.09.2021 पुनरावलोकन किया जा कर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की ओर से दिनांक 9.09.2021 को आदेशिका पर उपस्थिति दिख रही है और निर्णय में अनुपस्थिति दिखा रखी है। जबकि प्रार्थी दिनांक 23.03.2021 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ था तत्पश्चात कोरोना महामारी के कारण प्रकरण की सुनवाई ना होने के कारण प्रार्थी को प्रकरण की तारीख पेशी ज्ञात नहीं थी। जो कि अप्रार्थी को तारीख पेशी के बिना सूचना दिये दिनांक 09.09.2021 को प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना प्रकरण अवैधानिक रूप से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित कर दिया जिससे आदेश दिनांक 09.09.2021 पुनरावलोकन किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा ऋण वसूली अधिकरण मे जो प्रकरण दाखिल कर रखा है उसमें समझौते हेतु दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थी बैंक के पास गया तब प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को दी जिससे तत्काल प्रभाव से उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 17.11.2021 को प्राप्त कर नियत अवधि में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 29/2021 इण्डियन बैंक बनाम मैसर्स एस रॉबर्टस में पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अप्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 22.01.2021 को धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर न्यायहित में अप्रार्थी ऋणियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही बाबत सूचना पत्र जारी किये गये थे। अप्रार्थी ऋणी की ओर से दिनांक 23.03.2021 को अधिवक्ता उपस्थित हुये है, परन्तु धारा 14 के तहत मामला अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा कोई कथन या दस्तावेज पेश नहीं किया गया। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को है। इसके तहत दिनांक 09.09.2021 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया है कि उक्त आदेश दिनांक 09.09.2021 की पालना हो चुकी है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपेी माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

7. आदेश की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. आदेश आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर